न्यायालय:- सेशन न्यायाधीश, डीडवाना (राज.)

फर्द अहकाम

सेशन प्रकरण सं. 04/2020

राज.राज्य बनाम रेखाराम व अन्य

दिनांकः- 29.10.2025

लोक अभियोजक उपस्थित । अभियुक्तगण सुनील व रेखाराम न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित । अभियुक्त रामूराम मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्ता रामीदेवी अनुपस्थित की हाजरी माफी की दरखास्त जरिये अधिवक्ता श्री जयवीर सिंह पेश हुई, सुना जाकर वर्णित कारण को देखते हुये रामी देवी की हाजरी माफी की दरखास्त आज के लिए स्वीकार की जाती है । अभियुक्त रेखाराम के अधिवक्ता श्री शिवभगवान चौधरी उपस्थित। प्रकरण के तहत अभियुक्त रेखाराम पूर्व में मफरूर होने के कारण इसके संबंध में प्रकरण में अभी तक आरोप विरचित नहीं होने से अभियुक्त रेखाराम की हद तक बहस आरोप उभय पक्षों की सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त रेखाराम के विरुद्ध धारा 302/120बी, 307/120बी, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1973 के अपराध में आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होने से अभियुक्त रेखाराम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश हुआ है, इसलिये उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर सुनाये जावे ।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त रेखाराम ने निवेदन किया कि प्रकरण वाहन दुर्घटना से संबंधित है । अभियुक्त पर धारा 302, 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिये अभियुक्त को धारा 302, 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से उन्मोचित किया जावे।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 09.06.2019 को समय करीब 5.30 बजे सांय के लगभग रसीदपुरा फैक्ट्री से थोड़ा आगे अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ साशय अपराध कारित करने का षड़यंत्र करते हुए परिवादी महेश कुमार की मोटरसाइकिल नंबर आरजे.37एसएम 5343 के पीछे से एक्सयूवी गाड़ी से टक्कर मारी, जिससे उक्त मोटरसाइकिल पर सवार परिवादी की माता रामीदेवी के गंभीर उपहतियां कारित होकर उसकी मृत्यु हो गई तथा परिवादी महेशकुमार की उक्त मोटरसाइकिल के आशय अथवा यह ज्ञान रखते हुए कि कृत्य से हत्या कारित हो सकती है, टक्कर मारी, जिससे परिवादी महेश कुमार के गंभीर उपहतियां कारित हुई । प्रथमदृष्ट्या पत्रावली पर मौजूद गवाहान महेशकुमार, दानाराम, तिलोकराम, रामचंद्र भाकर, हजारीराम, अर्जुनराम, रामस्वरूप के पुलिस बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध फर्द

29/10/25

सेशन न्यायाधीश
डीडवाना

सेशन प्रकरण सं. 04/2020

राज.राज्य बनाम रेखाराम व अन्य

पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, अपराध विवरण फार्म, फर्द जब्ती वाहन महेन्द्रा एक्सयूवी नंबर आरजे. 37यूए 6597, फर्द निरीक्षण वाहन मोटरसाइकिल, अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्स अधिनियम की सूचनायें, फर्द तस्दीक घटनास्थल, फर्द जब्ती मोबाइल, फर्द विश्लेषण मोबाइल कॉल डिटेल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कागजात के अवलोकन व अनुसंधान सामग्री से अभियुक्त रेखाराम के विरुद्ध आरोप विरचित करने बाबत् प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होने से अभियुक्त रेखाराम के विरुद्ध धारा 302/120बी, 307/120बी, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1973 के अपराध में आरोप विरचित करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त रेखाराम को धारा 302/120बी, 307/120बी, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1973 के अपराध के आरोप पृथक से विरचित किये जाकर सुनाये समझाये गये, अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

गवाह देवीलाल पी.डब्ल्यू.26 के बयान लेखबद्ध किये गये । प्रकरण के तहत अभियुक्त रेखाराम की मफरूरी के दौरान कुल 25 गवाहान प्रकरण के तहत अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये जा चुके हैं, जिन गवाहान को अधिवक्ता अभियुक्त रेखाराम ने जिरह हेतु तलब करने का निवेदन किया । न्यायहित में अभियुक्त रेखाराम की अनुपस्थिति में हुये गवाहान से जिरह हेतु अधिवक्ता अभियुक्त रेखाराम को अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अभियोजन साक्ष्य सूची में पूर्व में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.4 को दिनांक 10.11.2025 के लिए, गवाह पी.डब्ल्यू.5 से पी.डब्ल्यू.8 को दिनांक 11.11.2025 के लिए, गवाह पी.डब्ल्यू.9 से पी.डब्ल्यू.12 को दिनांक 12.11.2025 के लिए एवं गवाह पी.डब्ल्यू.13 से पी.डब्ल्यू.16 को दिनांक 13.11.2025 के लिए जरिये जमानती वारण्ट 1000/-से तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 10.11.2025 को पेश हों। तब तक अभियुक्तगण सुनील व रेखाराम की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाई जाती है।

29/10/25

(अनिल सेशन न्यायाधीश
सेशन न्यायाधीश, डीडवाना